

**OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

Order No. 11/25-2023 TGT R&A(3)

Dated, Panchkula, the 22.08.2023

Consequent upon the acceptance of the voluntary retirement notice dated **23.05.2023** tendered by **Smt. Pushap Lata, SS Mistress, GMS Dhakaula, Ambala** for voluntary retirement in view of the provisions provided in rule 146 of Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, is hereby allowed to retire voluntarily w.e.f. 31.08.2023.

**KAMAL PREET KAUR
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**


ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, 23/08/23

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Elementary Education Officer, Ambala w.r.t. his memo no. E-1/2023/1541 dated 14.08.2023. The service book of the official is returned herewith.
3. Principal/ Headmaster, **GMS Dhakaula, Ambala.**
4. **Smt. Pushap Lata, SS Mistress, GMS Dhakaula, Ambala.**
5. I.T Cell.


**Dy. Superintendent TGT R&A
For Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula**

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकुला।

सेवा में,

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक 15/33-2023 टी.जी.टी. भर्ती व नियुक्ति (3)
दिनांक, पंचकुला-

विषय:-

Coverage under Punjab Civil Services Rules (CSR) Vol-II (now Haryana Civil Services (Pension Rules, 2016), in place of New Defined Contributory Pension Scheme, of those State Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment, on or before 28.10.2005.

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 15/33-2023 टी.जी.टी. भर्ती व नियुक्ति (3) दिनांक 02.08.2023 के संदर्भ में।


विषयांकित मामले में वित्त विभाग हरियाणा द्वारा दिनांक 08.05.2023 को जारी किये गये memorandum के संदर्भ में आपको निम्नानुसार कार्यवाही करने बारे अनुरोध किया गया था:-

1. सी. एंड वी. अध्यापकों के नियोक्ता अधिकारी आप स्वयं होने के कारण सी. एंड वी. अध्यापकों के मामले में दिनांक 08.05.2023 की नोटिफिकेशन अनुसार कार्यवाही करें।
2. जिन टी.जी.टी. अध्यापकों के मामले दिनांक 08.05.2023 की नोटिफिकेशन के अनुसार कवर होते हैं उनके केस संबंधित दस्तावेजों सहित दिनांक 31.08.2023 तक तैयार करके अपने comments सहित निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।


अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

नोट: दिनांक 31.08.2023 तक प्राप्त होने वाले आवेदनों/मामलों पर ही कार्यवाही की जाएगी।

पृष्ठांकन क्रमांक सम


उप अधीक्षक, टी.जी.टी. भर्ती एवं नियुक्ति
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।
दिनांक

इसकी एक प्रति विभागीय आई.टी. सैल को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत है।


उप अधीक्षक, टी.जी.टी. भर्ती एवं नियुक्ति
कृते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।